2013/00008

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्थान–राज्य : ब ना म : श्री मोहनसिंह पुत्र श्री देवीसिंह निवासी खियेरा हाऊस, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर किस्म मुकदमा आर्म्स एक्ट (रिमाण्ड प्रकरण न्याय शाखा) मुकदमा संख्या 04/13	
	आ दे श	
06.02.2018	उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। मोहनसिंह के अधिवक्ता का निवेदन है कि अप्रार्थी मोहनसिंह के नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा–पत्र संख्या 73/69 जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर से जारी शुदा है, जिस पर शस्त्र 410 बोर एन.पी.बोर स्टीक गन नं. 57813 एवं एक एन.पी.बोर राईफल स्टाईल गन नं. 2061/1908 एम.डी.1893 दर्ज है। अनुज्ञा–पत्र का नवीनीकरण 31.12.2006 तक हुवा है। नवीनीकरण का प्रार्थना–पत्र खारिज करने पर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर के यहां अपील संख्या 20/2011 प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 03.6.13 से रिमाण्ड होकर इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। अत: शस्त्र अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण की कार्यवाही की जावे। स्टेट की और से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि कार्यालय द्वारा प्रकरण पूर्व में परीक्षण हो कर आदेश दिनांक 28.3.11 से खारिज किया गया था। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय की पालना में प्रकरण में सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये है, जिसके तहत नवीन शस्त्र नियम,2016 के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा। हमने उभयपक्ष के कथनो पर मनन किया व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। शस्त्र नियमों के तहत सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही एक प्रशासनिक कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में हम यह उचित पाते है कि नवीन शस्त्र नियम,2016 के परिपेक्ष्य में प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा प्रकरण की जांच/परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें। मूल पत्रावली प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा कार्यालय हाजा को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (अनिल गुप्ता) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official